# महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें
निपुण भारत

**समग्र शिक्षा, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226007**

वेब-साइट: www.basiceducation.up.gov.in, www.upefa.com ई-मेल: upefaspo@gmail.com दूरभाष: 0522-4024440, 2780384, 2781128


सेवा में,

**जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी**
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः गुण0वि0/आत्मीय संबंध/ 10139 /2023-24 दिनांकः 08 नवम्बर, 2023

**विषयः <u>विद्यालय में बच्चों की वर्तमान औसत उपस्थिति में न्यूनतम 10 प्रतिशत की वृद्धि हेतु विशेष अभियान संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।</u>**

महोदय/महोदया,

आप अवगत हैं कि **निपुण भारत मिशन** के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निर्गत शासनादेश के क्रम में मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए Measurable Goals निर्धारित करते हुये विभिन्न गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। **'निपुण लक्ष्य'** तथा **कक्षावार निर्धारित दक्षतायें** प्राप्त करने के लिये विद्यालयों में बच्चों की नियमित उपस्थिति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। स्वच्छ, सुन्दर एवं कायाकल्पित विद्यालय परिसर, सुरक्षित एवं भयरहित वातावरण तथा रूपान्तरित कक्षा-कक्ष बच्चों को मनोवैज्ञानिक रूप से आकर्षित करता है। बच्चों की उपस्थिति तथा कक्षावार निर्धारित दक्षताओं की प्राप्ति के लिये अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता के साथ ही विभिन्न प्रिंटरिच एवं शैक्षणिक सामग्री द्वारा कक्षा-कक्ष का रूपान्तरण किया गया है। अनेक उदाहरणों से यह स्पष्ट हुआ है कि रोचक एवं गतिविधि आधारित शिक्षण, शिक्षक-शिक्षार्थी तथा अभिभावकों/समुदाय के साथ आत्मीय संबंध तथा छात्र केन्द्रित संस्कृति सकारात्मक परिवर्तन के मूल तत्व हैं।

बच्चों के पठन-पाठन में नियमित उपस्थिति के महत्व को दृष्टिगत रखते हुये समस्त हितधारकों का यह कर्तव्य है कि प्रत्येक बच्चे की उपस्थिति का सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाये। उक्त को दृष्टिगत रखते हुये एक बहुआयामी रणनीति अपनाने की आवश्यकता है, जिससे कि बच्चों की उपस्थिति अधिकतम हो सके और उनका उपलब्धि स्तर भी बढ़ाया जा सके। इस संबंध में निम्नलिखित सुझावात्मक रणनीतियों पर प्राथमिकता से कार्य किये जाने की आवश्यकता है :-

**1. <u>मूल कारणों का विश्लेषण (Root Cause Analysis) :-</u>**

विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति कम होने के मूल कारणों का विश्लेषण किया जाये। बच्चों की विद्यालय में अनियमित एवं कम उपस्थिति के संभावित कारण अभिभावकों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति, अभिभावकों का शिक्षा के प्रति कम रूझान अथवा जागरूकता का अभाव होना, बच्चों का छोटे भाई-बहनों की देखभाल में संलग्न होना, घरेलू कार्यों में व्यस्तता आदि हो सकते हैं। बच्चों की शिक्षा के बारे में अभिभावकों एवं स्थानीय समुदाय को गतिशील एवं संवेदनशील बनाया जाना आवश्यक है। इस संबंध में निम्नलिखित सुझावात्मक गतिविधियां सुनिश्चित की जायें :-

- ✓ इस संबंध में अभिभावकों को शिक्षा के महत्व से अवगत कराया जाये तथा इसके दीर्घकालीन लाभ एवं गुणवत्तापूर्ण जीवन में शिक्षा की भूमिका के बारे में जागरूक किया जाये। इसके साथ ही स्थानीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट उपलब्धियां अर्जित करने वाले महानुभावों की उपलब्धियों से भी अवगत कराया जाये।
- ✓ ऐसे बच्चों के माता-पिता से मिलकर शासकीय प्रोत्साहनों यथा-मिड-डे-मील, यूनिफार्म, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, स्कूल बैग, जूता-मोजा, स्टेशनरी आदि के बारे में अवगत कराया जाये तथा बच्चों को नियमित विद्यालय भेजने का आग्रह किया जाये।
- ✓ बच्चों के विद्यालय न आने अथवा अनियमित रूप से विद्यालय आने के प्रमुख कारणों में से एक कारण छोटे भाई-बहनों की देखभाल में उनकी व्यस्तता भी है। इस संबंध में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा 06 वर्ष से छोटे बच्चों की देखभाल एवं स्कूल पूर्व शिक्षा ग्रहण करने के लिये आँगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। छोटे भाई-बहनों की देखभाल में व्यस्तता के कारण विद्यालय न आने वाले बच्चों

**Note:** This document is only for the knowledge and bonafide use of the Department of Basic Education, UP Government. Any sharing, publication or reproduction of this document in print or digital form or communication of its contents in any other form by any unconcerned person, body, institute or third party without prior information and approval of the competent authority will be illegal & void ab initio and appropriate action shall be taken against him in accordance with relevant rules & regulations.

की उपस्थिति बढ़ाने के लिये प्राथमिक विद्यालयों और आँगनबाड़ी केन्द्रों के साथ सतत् एवं उचित समन्वय स्थापित किया जाये। इससे 06 वर्ष से छोटे बच्चों की स्कूल पूर्व शिक्षा के साथ–साथ उनके बड़े भाई–बहनों की अच्छी पढ़ाई संभव हो सकेगी तथा पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की दर में निश्चित रूप से कमी आयेगी।

- ✓ शिक्षक, ए0आर0पी0, एस0आर0जी0, जिला समन्वयकों एवं शिक्षा अधिकारियों द्वारा होम विजिट्स के दौरान अभिभावकों, ग्राम प्रधान एवं स्थानीय समुदाय को विद्यालय में कार्यरत उत्कृष्ट योग्यताधारी शिक्षकों, शैक्षणिक रणनीति, संदर्शिका, टी0एल0एम0, पुस्तकालय, प्रिंटरिच सामग्री, बिगबुक्स, गणित एवं विज्ञान किट, आकलन के तरीके, रिपोर्ट कार्ड, स्मार्ट क्लास/आई0सी0टी0 लैब तथा खेलकूद सामग्री, एक्सपोज़र विजिट्स (राष्ट्रीय आविष्कार अभियान) आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी दी जाये।
- ✓ बच्चों की शैक्षिक प्रगति के सुधारात्मक पक्षों, विशिष्ट रूझानों और व्यवहारों को अभिभावकों के साथ साझा किया जाये।

**2. <u>शिक्षक एवं बच्चों के मध्य आत्मीय संबंध विकसित करना :–</u>**

शिक्षकों द्वारा गतिविधि आधारित एवं प्रोजक्ट बेस्ड टीचिंग नहीं कराया जाना बच्चों की पठन–पाठन में अरूचि एवं विद्यालय में अनुपस्थिति का कारण हो सकता है। अनेक अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि शिक्षक एवं बच्चों का आत्मीय संबंध बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। इस संबंध में कतिपय सुझावात्मक बिन्दु निम्नलिखित हैं :–

- ✓ बच्चों में सृजनात्मक क्षमताओं के विकास के लिये फन एक्टिविटी, भाषण, निबन्ध लेखन, कहानी लेखन, कविता पाठ, वाद–विवाद प्रतियोगिता, खेल, लोकगीत, नाटक, मूक अभिनय, सम सामयिक विषयों पर चर्चा आदि के अवसर उपलब्ध कराये जायें। बच्चों को मनोरंजक और उनकी जिज्ञासा में वृद्धि एवं पूर्ति के लिये कहानियाँ सुनायी जायें तथा विद्यालयों में रोचक खेलों का आयोजन किया जाये जो विद्यालय को आमोद (Place of Joy) का स्थान बनाने में सहायक हो।
- ✓ विद्यालयों में **विद्यालय प्रबन्ध समिति** की नियमित बैठकें/गोष्ठियाँ आयोजित की जायें। विद्यालय के विकास की योजना के निर्माण में विद्यालय प्रबंध समिति का सक्रिय योगदान प्राप्त किया जाये।

**3. <u>निरीक्षण एवं अनुश्रवण :–</u>**

बच्चों के विद्यालय न आने अथवा अनियमित उपस्थिति का एक कारण कतिपय शिक्षकों द्वारा देर से विद्यालय आना अथवा अनधिकृत अनुपस्थिति भी हो सकता है। इस संबंध में कतिपय सुझावात्मक बिन्दु निम्नलिखित हैं :–

- ✓ डी0टी0एफ0 एवं बी0टी0एफ0 निरीक्षणों के माध्यम से विद्यालयों में शत–प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करायी जाये। निरीक्षणों में विलम्ब से आने वाले शिक्षकों एवं अनधिकृत रूप से अनुपस्थित शिक्षकों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लायी जाये।
- ✓ विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक में अनुपस्थित/ड्रॉप आउट बच्चों को विद्यालय में नियमित लाने के लिये कार्ययोजना बनायी जाये तथा सदस्यों को यह दायित्व दिया जाये कि वे अभिभावकों को इसके लिये प्रेरित करें।
- ✓ विद्यालय में अनुपस्थित रहने वाले बच्चों के माता–पिता से शिक्षक द्वारा व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क स्थापित करते हुये बच्चे को प्रतिदिन विद्यालय भेजने के लिये प्रेरित किया जाये। इसके साथ ही न्यूनतम उपस्थिति वाले बच्चों को रेखांकित किया जाये तथा फोन कॉल्स/होम विजिट्स के माध्यम से उनकी काउन्सिलिंग करते हुए बच्चों की विद्यालय में नियमित उपस्थिति निम्नानुसार सुनिश्चित करायी जाये :–
    - 1–3 दिवस तक अनुपस्थित रहने वाले बच्चों के अभिभावकों से फोन कॉल कर स्थिति ज्ञात की जाये।
    - 4–6 दिवस तक अनुपस्थित रहने वाले बच्चों का होम विजिट किया जाये।
    - एक सप्ताह से अधिक अनुपस्थित रहने वाले बच्चों की अनुपस्थिति पर अभिभावक एवं ग्राम प्रधान से मिलकर इस संबंध में चर्चा करते हुये सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

- ✓ ऐसे शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों को बी0ई0ओ0–एच0टी0 की मासिक समीक्षा बैठक एवं जनपद स्तरीय बैठकों में विशेष रूप से सम्मानित किया जाये, जिनके यहाँ **बच्चों का उपस्थिति प्रतिशत सर्वाधिक हो** अथवा उपस्थिति में विशिष्ट सुधार परिलक्षित हुआ हो। विकासखण्ड के सर्वोच्च उपस्थिति वाले 05 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों का नाम तथा विद्यालयवार बच्चों की उपस्थिति का प्रतिशत प्रत्येक माह विकासखण्ड कार्यालय के बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाये।

**4. आउटरीच प्रोग्राम :–**

- ✓ खण्ड शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में प्रत्येक माह विकासखण्ड के 03 ग्रामों में **शिक्षा चौपाल** के आयोजन हेतु निर्देश प्रेषित किये गये हैं। शिक्षा चौपाल के आयोजन में ऐसे मोहल्लों एवं मजरों को प्राथमिकता दी जाये, जहां बच्चों की अनुपस्थिति एवं अनियमित उपस्थिति का प्रतिशत सर्वाधिक हो।
- ✓ शिक्षा चौपाल के दौरान विद्यालय में कार्यरत **उत्कृष्ट योग्यताधारी शिक्षकों,** शैक्षणिक रणनीति, संदर्शिका, टी0एल0एम0, पुस्तकालय, प्रिंटरिच सामग्री, बिगबुक्स, गणित एवं विज्ञान किट, आकलन के तरीके, रिपोर्ट कार्ड तथा खेलकूद सामग्री आदि का प्रदर्शन करते हुये अभिभावकों एवं जन समुदाय को जागरूक किया जाये।
- ✓ विद्यालय में प्रत्येक माह **अभिभावक–शिक्षक बैठक** आयोजित कर नियमित उपस्थित होने वाले बच्चों के अभिभावकों की विशेष रूप से सराहना की जाये तथा सभी बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय आने के लिये अभिप्रेरित भी किया जाये।
- ✓ **ग्राम पंचायत में होने वाली बैठकों** में बच्चों की विद्यालय में नियमित उपस्थिति के संबंध में चर्चा करते हुये ग्राम प्रधान के माध्यम से अभिभावकों को जागरूक किया जाये।
- ✓ प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को उस माह में जन्म लेने वाले बच्चों का **जन्मोत्सव** धूमधाम से मनाया जाये। जन्मोत्सव के अवसर पर संबंधित बच्चों के माता–पिता को भी आमंत्रित किया जाये।

इस प्रकार की गतिविधियों के संचालन से विद्यालयों में भयमुक्त एवं तनाव रहित बाल केन्द्रित शिक्षा का वातावरण विकसित होगा। ऐसे सहज और सुरक्षित वातावरण से बच्चे निश्चय ही जुड़ाव महसूस करेंगे और स्वतः विद्यालय आने के लिये प्रेरित होंगे। कृपया उपर्युक्तानुसार **विशेष अभियान** के रूप में कार्यवाही किये जाने हेतु समस्त संबंधित को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

**(विजय किरन आनन्द)**
**महानिदेशक, स्कूल शिक्षा**
**उत्तर प्रदेश।**

**पृ0सं0: गुण0वि0/आत्मीय संबंध/ 10139 /2023–24 तद्दिनांक।**

**प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–**

1. प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. जिलाधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।
4. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0।
5. निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, उ0प्र0।
6. मुख्य विकास अधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।
7. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल, उ0प्र0।
8. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त जनपद, उ0प्र0।
9. खण्ड शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।
10. जिला समन्वयक (प्रशिक्षण), समस्त जनपद, उ0प्र0।

**(विजय किरन आनन्द)**
**महानिदेशक, स्कूल शिक्षा**
**उत्तर प्रदेश।**